

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—:अधिसूचना:—

संचिका संख्या:—6/वि0पत्रा0-24-03/2025

पटना, दिनांक—

श्रीमती नरगिस, राज्य-कर उपायुक्त (56-59वीं बैच), कटिहार अंचल, कटिहार को उनकी प्रथम संतान (पुत्र) के लिए बिहार सेवा (द्वितीय संशोधन) संहिता, 2014 के नियम-220 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2498, दिनांक-12.04.2007 के अन्तर्गत दिनांक-03.01.2025 से 01.07.2025 तक कुल 180 दिनों का मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

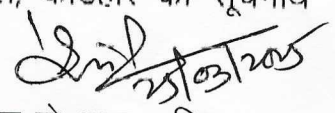
ह0/—

(ज्योति प्रकाश)
सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—6/वि0पत्रा0-24-03/2025 1471

पटना, दिनांक—26/03/25

प्रतिलिपि:—प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, कटिहार/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), कटिहार अंचल, कटिहार/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती नरगिस, राज्य-कर उपायुक्त (56-59वीं बैच), कटिहार अंचल, कटिहार को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।